

Order Sheet [Contd]

Case No 06 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
06-01-2017	<p>आवेदक/आरोपी संजू की ओर से श्री मुंशी सिंह यादव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षीकेन्द्र गोहद से अप0क0 308/16 धारा 354 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण से संबंधित बण्डल फाइल प्राप्त।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री मुंशीसिंह यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा फरियादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। जबकि आवेदक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट फरियादिया के लडके के लिखाफ मुरार जिला ग्वालियर में की थी जिस पर रंजिश मानकर आवेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गई है। आवेदक ग्राम डांग गुठीना जिला ग्वालियर का स्थाई निवासी होकर मजदूर पैशा व्यक्ति है, उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर कि आरोपी के द्वारा उसके पास एक मोटरसाइकिल गिरवी रख दिया था और उसके बदले उससे पैसे ले लिए थे, उसने पेसा मांगा और उसे मोटरसाइकिल उठा लेने के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। रात के दस बजे वह घर में अकेली थी तो आरोपी आया और उसने उसको चाय पिलाई और उधारी के पैसे मांगा तो आरोपी ने उसके हाथ पकड़कर उसकी लज्जा शीलता भंग की। जिस पर पुलिस थाना गोहद</p>	

के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 354 भा.दं.स. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि घटना में आरोपी को झूठा लिप्त किया गया है, उसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में फरियादिया के लडके के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी प्रति बण्डल फाइल में शामिल है। आरोपी दिनांक 30.12.2016 से अभिरक्षा में है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन के द्वारा संकलित की गई साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए जो कि आरोपी दिनांक 30.12.2016 से अभिरक्षा में है और प्रकरण की विवेचना भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। आवेदक जमानत पर छोड़ा जाना उचित है। आवेदक की ओर से इस संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 20,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय का पेश हो कि वह प्रत्येक पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं धारा 437(3) जा.फौ. के प्रावधानों का पालन करेगा। उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति सहित बण्डल फाइल संबंधित न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने वापस को जी जावे

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)